न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 18/2020
आर.सी.एम.एस. : 2020/00257

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
बाबुलाल पुत्र श्री गोरधनराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ सिटी जिला जोधपुर		1. रामरख गोदी पुत्र धनाराम टुईया जाति विश्नोई निवासी ग्राम तिलवासनी तहसील पिपाड़सिटी जिला जोधपुर 2. अमराराम पुत्र श्री भागचंदराम गोदारा जाति विश्नोई निवासी जालेली फौजदार तहसील जोधपुर जिला पाली 3. उप पंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता मो. शरीफ काजी।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 29-3-2023

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 900 दिनांक 21.05.2019 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम धुरासनी के खसरा नम्बर 115,407,418 एवं 431 कुल चार खसरा क्रमशः रकबा 2.1600, 2.1800, 1.9200 एवं 4.7000 भूमि आयी हुई है जिसमें से 1/2 हिस्सा पुखसिंह रामसिंह माधोसिंह जोरसिंह शैतानसिंह पिसरान नारायणसिंह जाति राजपुत के नाम एवं 1/2 हिस्सा गोरधन जेवंत पुत्र खेताराम, बाबुराम रामरख पिता गोरधन जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के नाम खातेदारी दर्ज है। जैर अपील में गोरधनराम एवं उसकी पत्नी गवरी का देहान्त हो चुका है जो 1/8 हिस्से में खातेदार है। धनाराम पुत्र हरदान जो स्व. गोरधनराम के काका थे, जिनके कोई जाईन्दा सन्तान नही होने से अपनी पत्नी भाणी व अपने भाईयों की सहमति से अपने भतीजे स्व. गोरधन के पुत्र रामरख को 06 वर्ष की उम्र मे सामाजिक रिति रिवाज से गोद ले लिया, जिसे गोरधनराम एवं उनकी पत्नी गवरी ने समाज एवं परिवार के सदस्यों के सामने धनाराम के गोद पुत्र के रूप में रामरख को रखना स्वीकार किया। उक्त गोदनामें के बाद रामरख के समस्त सामाजिक कार्य यथा सगाई एवं शादी धनाराम ने की करवायी थी। उक्त गोदनामें की ताईद रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 24.04.1981 में की है। उक्त गोदनामें के बाद रेस्पोडेण्ट संख्या 01 अपने जाईन्दा पिता गोरधनराम की सम्पति का उत्तराधिकारी न होकर स्व श्री धनाराम पुत्र हरदान की सम्पति का इकलौता उत्तराधिकारी है एवं गोरधनराम की सम्पति का इकलौता उत्तराधिकारी अपीलाण्ट रह जाता है। अपीलाण्ट गोरधनराम का उत्तराधिकारी होने के नाते आज भी जैर आराजी के 1/8 हिस्से पर कब्जा काश्त कर रहा है लेकिन गोरधनराम के फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय पटवरी हल्का ने अपने अधिकारों से परे जाते हुए रामरख गोदी पुत्र धनाराम को गोरधन का पुत्र

प्रति. जिला कलक्टर, पाली

बताते हुए जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 900 दिनांक 21.05.2019 स्वीकृत कर दिया जो पुर्ण रूप से विधि विरूद्ध एवं खारिज योग्य है। दिनांक 05.08.2020 को तहसील कार्यालय सोजत से जैर अपील नामान्तकरण की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ की नामान्तरकरण में रामरख का भी नाम दर्ज हो गया है जबकि रामरख को धनाराम ने अपने समाज एवं परिवार कि सहमति से गोद लिया था। ऐसी स्थिति में रामरख स्व. गोरधनराम की सम्पति में कोई हक नही रखता है। केवल राजस्व अधिकारियों की त्रुटि से बगैर किसी आधार व नियम के महज कानुनी त्रुटी से वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बध में उन्हे कोई हक व अधिकार नही प्राप्त हो जाते है। धनाराम ने अपने रजिस्टर्ड दस्तावेज वसीयतनामें में यह स्पष्ट किया है कि रामरख उनका गोदी पुत्र है जो समाज एवं रामरख के पिता एवं माता की सहमति से गोद लिया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी रामरख गोरधनराम की सम्पति में कोई हक अधिकार नही रखता हैं। अपीलांट स्व.गोरधनराम की सम्पति में प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है तथा उसके हक अधिकार निहित है। जैर अपील नामान्तरकरण से अपीलांट के हक अधिकारी प्रभावित हुए है। पटवारी ने जैर अपील नामान्तरकरण भरते समय रजिस्टर्ड वसीयतनामे में अंकित वारिसानो की जांच किये बिना व मौके व रेकर्ड की जांच किये बिना ही अपनी मनमर्जी से अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट ही स्व. गोरधनराम का एकमात्र वारिस है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाते हुए पटवारी हल्का द्वारा रेकर्ड की जांच किये बिना गलत तरीके से भरे गये जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त कराने के आदेश फरमाव। चूंकि जैर आराजी अपील के सन्दर्भ में अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 900 को निरस्त कर पुनः नये सिरे से गोरधनराम के हक अधिकार का 1/8 हिस्सा एकमात्र वारिसान अपीलाण्ट बाबुलाल के नाम नामान्तकरण दर्ज फरमाने का आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वक्त बहस अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामरख व अपीलांट के मध्य हुए राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश कर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 900 को निरस्त कर पुनः नये सिरे से गोरधनराम के हक अधिकार का 1/8 हिस्सा अपीलाण्ट बाबुलाल के नाम नामान्तकरण दर्ज करने का निवेदन किया है, जिस पर अपीलांट बाबुलाल तथा रेस्पोडेन्ट रामरख के हस्ताक्षर है चूंकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। लिहाजा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य हुए राजीनामे व सहमति के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 900 दिनांक 21.05.2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सोजत को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सम्बद्ध पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिक वारिसानो एवं उनसे सम्बद्ध रेकर्ड की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29-3-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली